

(35)

**GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
LAW & LEGISLATIVE AFFAIRS DEPARTMENT
MANTRALAYA, RAIPUR.**

NOTIFICATION

Raipur, dated 18.01.2008

F.No. ⁶⁹⁹ /D-168/XXI-B/C.G./08,- In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Family Court Act, 1984 (No.66 of 1984), the State Government in consultation with the High Court of Chhattisgarh, makes following further amendment in department notification No.1507/D-397/XXI-B/C.G./05, dated 24.2.05 and No.5813/D-2084/XXI-B/C.G./07, dated 09.07.2007 with immediate effect.

AMENDMENT

In the said notification,-

1. For the entries in column no. (3) and (4) against serial no.1 of Schedule-I, the following shall be substituted,-

S.No.	Name of the Court and District.	Headquarters	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)	(4)
1.		(a)Raipur (b)Additional place of sitting at Mahasamund.	(a) Revenue District Raipur. (b) Revenue District Mahasamund except the jurisdiction of the court at Saraypali.

2. Entries in column no. 3(b) and 4(b), against serial no.(2) of Schedule-II shall be omitted.

(36)

For the entries in column no. (3) and (4), against serial no. 6 of Schedule-II, the following shall be substituted, namely;-

S.No.	Name of the Court and District.	Headquarters	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)	(4)
6.		(a) Bilaspur.	(a) Revenue district Bilaspur excluding the jurisdiction of Civil Court Mungeli and Pendra road.
		(b) Additional place of sitting at Sakti for one week, in the second week of every month.	(b) Additional jurisdiction of Tehsil Sakti.
		(c) Additional place of sitting at Janjgir-Champa for one week, in the fourth week of every month.	(c) Additional jurisdiction of revenue district Janjgir-Champa excluding the jurisdiction of court Sakti.

अधिसूचना

फा0क0 699 / डी-168/21-ब/छ0ग0/08.- कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (कमांक 66 सन् 1984) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के परामर्श से विभाग की अधिसूचना कमांक 1502/डी-397/21-ब/05, दिनांक 24.02.05 एवं कमांक 5813/2084/21-ब/छ0ग0/07, दिनांक 09.07.07 में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित और संशोधन करती है :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

अनुसूची- एक के सरल कमांक 1 के सम्मुख स्तम्भ कमांक (3) एवं (4) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएं,-

अनु0क0	न्यायालय का नाम एवं जिला	मुख्यालय	क्षेत्राधिकार
(1)	(2)	(3)	(4)
1.		(क) रायपुर (ख) महासमुंद में बैठक का अतिरिक्त स्थान ।	(क) राजस्व जिला रायपुर. (ख) सरायपाली न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर राजस्व जिला महासमुंद.

- 2. अनुसूची-दो के सरल क्रमांक 2 के सम्मुख स्तम्भ क्रमांक 3(ख) एवं 4(ख) की प्रविष्टियों का लोप किया जाए ।
- 3. अनुसूची-दो के सरल क्रमांक 6 के सम्मुख स्तम्भ क्रमांक (3) एवं (4) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएं, अर्थात् -

अनु0क0	न्यायालय का नाम एवं जिला	मुख्यालय	क्षेत्राधिकार
(1)	(2)	(3)	(4)
6.		(क) बिलासपुर	(क) व्यवहार न्यायालय मुंगेली एवं पेण्डारोड न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर राजस्व जिला बिलासपुर.
		(ख) सक्ती में बैठक का अतिरिक्त स्थान, प्रत्येक माह के द्वितीय सप्ताह में एक सप्ताह के लिए	(ख) तहसील सक्ती का अतिरिक्त क्षेत्राधिकार.
		(ग) जांजगीर-चांपा में बैठक का अतिरिक्त स्थान, प्रत्येक माह के चतुर्थ सप्ताह में एक सप्ताह के लिए.	(ग) सक्ती न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर, राजस्व जिला जांजगीर-चांपा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(Handwritten Signature)
 (ए.के.सामंतराय)
 अतिरिक्त सचिव,
 छ0ग0शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग
 रायपुर, दिनांक 18/01/08

पृ0 क0 700 /डी-168/21-ब/छ0ग0/08
 प्रतिलिपि:-

- 1. रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की ओर उनके ज्ञापन क0 529/तीन-8-2/2001 दिनांक 16.01.08 के संदर्भ में,
- 2. मान0 विधि मंत्री जी के निज सचिव की ओर मान0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ,
- 3. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर छ0ग0राजपत्र (असाधारण) दिनांक 18.01.08 के अंक में अनिवार्य रूप से प्रकाशित कर उसकी 200 प्रतियां इस विभाग को भेजने हेतु, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(Handwritten Signature)
 (ए.के.पट्टिक)
 उप सचिव,
 छ0ग0शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग